



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



IN-UP02725027239757V


e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP02725027239757V
Certificate Issued Date	: 01-Sep-2023 01:35 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14137204/ FATEHPUR, UP-FTP
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP14137204010667800416482V (1 P)
Purchased by	: RAJENDRA COLLEGE OF PHARMACY
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: RAJENDRA COLLEGE OF PHARMACY
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: RAJENDRA COLLEGE OF PHARMACY
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

Signature
Date: 01/09/2023
ACC: NEWIMPACC (SV) UP14137204
Inch: Fatehpur, UP-FTP

001-001-000-100

सत्यमेव जयते



Please write or type below this line

(Handwritten Signature)

ॐ प्रारूप-अ ॐ शपथपत्र

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथपत्र 1-समक्ष

हम ...शहूल सिंह

स्वं...वल्लभ सिंह

कुमशः अध्यक्ष

स्वं सचिव

सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता ..

.....

शपथपूर्वक

निम्नवत बयान करते हैं:-

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcsestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

RAJENDRA COLLEGE OF PHARMACY HAS BEEN REGISTERED WITH THE REGISTRAR GENERAL OF COMPANIES, UTTAR PRADESH, FOR THE PURPOSE OF ISSUING E-STAMPS.

01. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा श्री. वल्लभ सिंह
उच्चतरा ग्राह्यमित्र विद्यालय बंधुपुर
.....

नाम डिप्लोमा इन फार्मसी संस्था की स्थापना सत्र 2023-24 से किया
जाना प्रस्तावित है।

02. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम.. श्री. वल्लभ सिंह उच्चतरा
ग्राह्यमित्र विद्यालय में गाटा संख्या 00193 स्वम

..... रकबा क्रमशः..... 1:09
स्वं ... हेक्टर 1.09 भूमि है।

03. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय
में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

04. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या
बंधुपुर (विर्दम) स्वं ... रकबा क्रमशः.. 1:09

स्वं 1.09 हेक्टर पर उपरोक्त नाम की
डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/
ट्रस्ट की बैठक दिनांक .10-04-2022 द्वारा पारित किया गया है।

05. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रयत्नात डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु
भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

06. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि
स्वं उस पर निर्मित स्वं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष
निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

07. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेली काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेली संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
08. यह कि इस संस्था में फार्मेली काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
09. यह कि उपरोक्त भूमि पर इस पर निर्मित भवन में फार्मेली काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय/द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेली काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा तत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जाएगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली भाँति पालन कलंगा यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जास्गी।

13. मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/ दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विलुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

दिनांक 01.09.2023

हस्ताक्षर राहुल सिंह

हस्ताक्षर अरवि कुमार



बम्बकाम तहसील-बिन्दकी, जिला-फतेहपुर।

दिनांक 01.09.2023

solemnly attested and certified by me
I identified by Sir _____
I took of seal _____
I vacante 15/9/23
I am satisfied with the content. The deponer
is by _____ The contents of the
and received by _____
19/9/23